क्रम-संख्या–187

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022

आश्विन 5, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1410 / वि0स0 / संसदीय / 130(सं)-2022

लखनऊ, 22 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 438 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(6) इस धारा के उपबंध—

(क) (i) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1967);

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985);

(iii) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923);

(iv) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1986);

(v) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या 32 सन् 2012); से उद्भूत होने वाले अपराधों,

(ख) ऐसे अपराधों, जिनमें मृत्युदण्डादेश अधिनिर्णीत किया जा सकता है; और

(ग) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 376, 376–क, 376–कख, 376–ख, 376–ग, 376–घ, 376–घक, 376–घख, 376–ङ में संख्यांकित बलात्संग और अवैध मैथुन के अपराधों,

पर लागू नहीं होंगे।''

———

उद्देश्य और कारण

अग्रिम जमानत के उपबंध के सम्बन्ध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438, दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2019) द्वारा बढ़ायी गयी थी।

महिलाओं और बालकों/बालिकाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के अनुसरण में, यौन अपराधों में जैविक साक्ष्य का त्वरित संग्रहण सुनिश्चित करने, ऐसे जैविक साक्ष्यों को विनष्ट होने से रोकथाम करने, सुसंगत साक्ष्यों के नष्ट होने की संभावना को कम करने और अभियुक्त द्वारा पीड़ितों/साक्षियों को भयभीत या प्रपीड़ित किये जाने से अवरूद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया है, ताकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या 32 सन् 2012) तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 376, 376—क, 376—कख, 376—ख, 376—ग, 376—घ, 376—घक, 376—घख, 376—ङ में संख्यांकित बलात्संग से संबंधित अपराधों को अग्रिम जमानत के उपबंध के अपवादों में सम्मिलित किया जा सके।

तदनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा संशोधित की जाने वाली दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 जैसा उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त है, की संगत धारा का उद्धरण।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 जैसा उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त है

धारा 438 (6) इस धारा के उपबन्ध–

(क) (i) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967;

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;

(iii) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923;

(iv) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986;

से उद्भूत होने वाले अपराधों,

(ख) ऐसे अपराधों, जिसमें मृत्युदण्डादेश अधिनिर्णित किया जा सकता है; पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 501/XC-S-1–22-23-S-2022
Dated Lucknow, September 27, 2022

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dand Prakriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 2022 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 22, 2022.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2022. Short title

Amendment of section 438 of Act no. 2 of 1974 as amended in its application to Uttar Pradesh

2. In section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, *for* sub-section (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(6) Provisions of this section shall not be applicable,-

(a) to the offences arising out of,—

(i) the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act no. 37 of 1967);

(ii) the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act no. 61 of 1985);

(iii) the Official Secrets Act, 1923 (Act no. 19 of 1923);

(iv) the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 (U.P. Act no. 7 of 1986);

(v) the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Act no. 32 of 2012);

(b) to the offences, in which death sentence can be awarded;

(c) to the offences of rape and illegal sexual intercourse enumerated in sections 376, 376-A, 376-AB, 376-B, 376-C, 376-D, 376-DA, 376-DB, 376-E of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 regarding the provision of anticipatory bail, was inserted by the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2018 (U. P. Act no. 4 of 2019).

In pursuance of zero tolerance policy towards crimes against women and children, to ensure prompt collection of biological evidence in sexual offences, to prevent such biological evidence from being annihilated, to minimize the possibility of destruction of relevant evidences and to restrain the accused from causing fear or coercion to the victim/witnesses, it has been decided to amend section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Uttar Pradesh so as to include offences under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Act no. 32 of 2012) and offences relating to rape enumerated in sections 376, 376-A, 376-AB, 376-B, 376-C, 376-D, 376-DA, 376-DB, 376-E of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860) in the exceptions to the provision of anticipatory bail.

The Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

YOGI ADITYANATH

Mukhya Mantri.

———

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 556 राजपत्र—2022—(889)—599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

556 RPH (Criminal Procedure) (Sansadiya) 2022 Data 4e